28-11-2014

आवेदिका सहित श्री जे.पी.कटरे अधिवक्ता। अनावेदक स्वयं उपस्थित।

प्रकरण आवेदन के जवाब हेतु नियत है।

उभयपक्ष की ओर से आवेदन पत्र वास्ते राजीनामा स्वीकार किया जाकर आदेश पारित किये जाने बाबत पेश किया गया है।

उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र में निवेदन किया गया है कि उनके मध्य राजीनामा इस आशय का हो गया है कि अनावेदक के द्वारा आवेदिका क्रमांक–1 को 3000 / –तीन हजार रूपये प्रतिमाह तथा आवेदक क्रमांक–2 को 1000 / –एक हजार रूपये प्रतिमाह कुल भरण-पोषण राशि ४००० / -चार हजार रूपये प्रतिमाह प्रकरण प्रस्तुति दिनांक-04.08.2014 से अदा करेगा। उक्त राशि अनावेदक द्वारा आवेदिका क्रमांक-1 के खाते में जमा करेगा। अंतएव उक्त राजीनामा के आधार पर आदेश पारित कर प्रकरण समाप्त किया जावे 🖍

उभयपक्ष को सुना गया।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

आवेदकगण ने अनावेदक के विरूद्ध भरण-पोषण का यह प्रकरण दिनांक-04.08. 2014 को न्यायालय के समक्ष पेश किया है। आवेदिका क्रमांक-1 व आवेदक क्रमांक-2 आपस में मां–बेटे के संबंध है तथा आवेदक क्रमांक–2 अवयस्क की ओर से आवेदिका कमांक-1 ने वली मां के रूप में भरण-पोषण राशि दिलाये जाने बाबत आवेदन किया है। प्रकरण में अंतरिम भरण–पोषण राशि के संबंध में कोई आदेश नहीं किया गया है।

♥अनावेदक ने आवेदिका क्रमांक—1 को पत्नी एवं आवेदक क्रमांक—2 को पुत्र होना स्वीकार किया है। राजीनामा उभयपक्ष के द्वारा स्वैच्छया पूर्वक बिना किसी डर या दबाव के किया जाना प्रकट किया गया है। उभयपक्ष की पहचान श्री जे.पी.कटरे अधिवक्ता ने की है।

प्रकरण में राजीनामा स्वीकार किये जाने में कोई विधिक बाधा न होने से तथा उभयपक्ष के द्वारा राजीनामा स्वैच्छया पूर्वक किये जाने से राजीनामा आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा राजीनामा आवेदन के अनुसार भरण-पोषण हेतू निम्नानुसार आदेश पारित किया जाता है।

- अनावेदक द्वारा भरण–पोषण राशि के रूप में आवेदिका क्रमांक–1 को 3000 / -तीन हजार रूपये प्रतिमाह जीवन पर्यन्त तक तथा आवेदक क्रमांक-2 को 1000 / – एक हजार रूपये प्रतिमाह उसके वयस्क होने तक कुल भरण–पोषण राशि 4000 / —चार हजार रूपये प्रतिमाह आवेदन प्रस्तृति दिनांक—04.08.2014 से अदा करेगा।
- उक्त भरण–पोषण राशि अनावेदक द्वारा आवेदकगण को आवेदिका कुमांक-1 के बैंक खाते में प्रतिमाह 10 तारीख तक जमा करेगा।

उभयपक्ष अपना-अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

ातर अभि (सिराज अली) न्यायिक मजि०प्रथम श्रेणी, बैहर प्रकरण का परिणाम दर्ज कर समयावधि के भीतर अभिलेखागार में जमा किया जावे।